संख्याः– → /XIV–1 / 2012–5(42) / 2010

प्रेषक,

डा0 पी0एस0 गुसांई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 19 अप्रैल, 2012

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में लेखानुदानावधि में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्याः– 85/नियो0/प्रशिक्षण/2012–13 दिनांक 09 अप्रैल, 2012 एवं वित्त विभाग के आदेश संख्याः–193/XXVII (1)/ 2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में लेखानुदानावधि में विभाग के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु ₹ 83,000/– (रूपये तिरासी हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(1) उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत सन्दर्भ में उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों/मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड पर स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना महालेखाकार (लेखा) कार्यालय उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व बाउचर संख्या, लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व होगा।

(3) वित्त विभाग के आदेश संख्याः–193/XXVII (1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 व समय–समय पर निर्गत आदेशों का अक्षरशः पालन निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड द्वारा सुनिश्चित् किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उन पर अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार कार्यालय उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(6) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमो का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

क्रमशः

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि इस मद में गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–00–003–प्रशिक्षण–06–सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान–00–की मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्याः–193/XXVII (1)/ 2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डा0 पी0एस0 गुसांई)
सचिव।

संख्याः–630(1)/XIV–1/2012, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट राजकोषीय , नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव।